

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024 -25/ 2930

दिनांक 23-4-2025

निमित्त:

अधिशायी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद ।

विषय :- रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में

Proposal no.FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.0600 ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 331 दिनांक 03.04.2025 के क्रम में एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक 2693 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर द्वारा संदर्भित पत्र से रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंषा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई है।

1. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा कराई जावे।
2. रामगढ माताजी परिक्रमा मार्ग सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक के परामर्श से प्रबन्ध योजना बनाई जावेगी जिसमें सडक के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव इत्यादि का उल्लेख होगा।
3. NPV राशि नियमानुसार संशोधित दशे से अनुसार जमा करायी जावे।
4. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बनाया जावे।
5. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बनावे जावे।
6. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।
7. रामगढ कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करावे जावे।

अतः उक्त बिन्दुओं की पालना कर पालना रिपोर्ट अन्डरटैकिंग सहित इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भिजवाई जा सके।

(अमिल मादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./20223 -24/ 2931-33 दिनांक 23-04-2025
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(अमिल मादव)
उप वन संरक्षक
बारां

D/ Parivesh-1 Ramgarh mata ji Prikrma road